

## ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’

### चर्चा में क्यों?

28 दिसंबर, 2022 को मीडिया से माली जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा को वसितार देने के क्रम में 10वीं और 12वीं पास गरीब परिवार के वदियार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर देने का फैसला किया है। इसके लिये राज्य सरकार ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’की शुरुआत कर रही है।

### परमुख बदि

- ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’के लिये सरकार 200 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाएगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढने के लिये वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। सरकार की इस योजना से वैसे बच्चे जो पहले धन के अभाव में उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे, अब उससे वंचति नहीं रहेंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिये अब वे अपना भवषिय गढ़ने का सपना साकार कर सकेंगे।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा वभाग ने बताया कि झारखंड राज्य में मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं एवं 12वीं की पढाई करने वाले (डपिलोमा छात्रों के लिये 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) वदियार्थियों के लिये ऋण की व्यवस्था की जाएगी। इसी उद्देश्य से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का नरिणय लिया गया है।
- वदियार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पढाई के लिये आसानी से करज ले सकें।
- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वदियार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का करज मलिया। उन्हें बैंकों के जरिये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशिका अधिकतम 30 फीसदी नन- इंस्टीटयूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहति) के लिये मलिया। छात्रों को इसके लिये महज 4 फीसदी का ब्याज ही चुकाना होगा।
- वदियार्थियों को 4 फीसदी सपिल रेट ऑफ इंटेरेस्ट चुकाना होगा. बाकी के ब्याज का पैसा इंटेरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी। यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी।
- लोन लेने के लिये छात्रों को कसिी प्रकार के कोलैटरल सकियूरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन की राशिका वदियार्थी 15 साल में चुका सकेंगे। बच्चे जो लोन लेंगे, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधतिक फकिस्ड रहेगी।
- वदियार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये लोन लेने के लिये बैंक को कसिी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी।
- झारखंड सरकार राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में देश के वैसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों का चयन करेगी, जो पछिले एनआईआरएफ की लसिट में ओवरऑल 200 क्रम संख्या के अंदर अथवा संस्थान की संबधति श्रेणी में एनआईआरएफ की सूची में टॉप 100 में आते हों अथवा एनएएसी से ‘ए’ श्रेणी या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो।